

दविश के दौरान जनपद पुलिस द्वारा 05 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1 - रूपचन्द्र पुत्र झिन्कू निवासी मोहद्विमपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद 2- रामपाल पुत्र लाला चौहान निवासी बड़गो थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दविश को दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1- रवीन्द्र कुमार पुत्र भोलानाथ निवासी कोपिया थाना बखिरा 2- इबरार अहमद पुत्र किताबुल्लाह निवासी सौराहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता गायत्री देवी पत्नी मुराली निवासी अवल केवटलिहा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल - पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत मैनसिर से इवेन्ट संख्या 00538 से कालर ने मार्ग दुर्घटना के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस से सीएचसी नाथनगर भेजा गया था घटना

के संबन्ध में थान महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेज कर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी विनोद कुमार ओझा, आरक्षी विनोद कुमार, हो0चा0संजीव कुमार

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 39 वाहनो से 31000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 39 वाहनो से 31000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक

01.02.2021

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत यातायात पुलिस संतकबीरनगर द्वारा आयोजित किया गया नुककड़ नाटक

आज दिनांक 01.02.2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारु रूप से चालने व सड़क सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था सुदृढ करने के लिए यातायात पुलिस कार्यालय मेहदावल बाईपास पर स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा नुककड़ नाटक को आयोजन किया गया। नाटक के जरिए लोगो को सड़क सुरक्षा के बारे जागरुक किया गया तथा नाटक के जरिए लोगो से अपील की गयी कि वे तय मानक गति से अधिक गति से वाहन न चलाए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। शराब पीकर वाहन कदापि न चलाएं।

पुलिस अधीक्षक

संतकबीरनगर द्वारा श्री सीताराम इण्टर कालेज के कक्षा 12 की छात्रा कुमार तनु यादव पुत्री

राजेन्द्र यादव को 01 दिन का प्रभारी यातायात बनाया गया। इस नुककड़ नाटक के दौरान

क्षेत्राधिकारी यातायात श्री गयादत्त मिश्र, संभागीय परिवहन शाखा के आरआई, प्रभारी यातायात श्री संतोष कुमार मिश्रा के साथ यातायात के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे।